International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 13 Issue 4, July-August, 2025

मादक द्रव्य व्यसन का समाजशास्त्रीय अध्ययन

जगमिन्दर सिंह

शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर

सारांश

मादक द्रव्य व्यसन एक जीर्ण मानसिक रोग है। मादक द्रव्य व्यसन वह पदार्थ है जिसके सेवन से नशे का अनुभव होता है तथा लगातार सेवन करने से व्यक्ति उसका आदि बन जाता है। हमारे समाज में कई प्रकार के मादक द्रव्यों का प्रचलन है जैसे शराब, विहस्की, रम, बीयर, महुआ, हंड़िया आदि सामाजिक मान्यता प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे अवैध पदार्थ भी काफी प्रचलित हैं जैसे भांग, गांजा, चरस, हेरोईन, ब्राउन सुगर तथा कोकीन आदि। डाक्टरों द्वारा नींद के लिए या चिन्ता या तनाव के लिए लिखी दवाईयों का उपयोग भी मादक द्रव्यों के रूप में होता है। तम्बाकूयुक्त पदार्थ जैसे सिगरेट, खैनी, जर्दा, गुटखा, बीड़ी आदि भी इनके अन्तर्गत आते हैं। मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या भारत में ही नहीं अपितु विश्व के विकसित तथा विकासशील देशों में भी एक गंभीर चिंता का विषय बना ह ुआ है। जिससें यह व्यसन देश के युवाओं में एक महामारी के रूप में फैलती जा रही है। इन नशीले पदार्थों के सेवन से विश्व में अपराध एवं हिंसा की प्रवृति दिन प्रतिदिन विकसित होती जा रही है। प्रत्येक वर्ष 26 जून को ड्रग एब्यूज एवं इलिसिट ट्रैफिकिगं के विरूद्ध अंतर्राष् ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है जिससे सम्पूर्ण विश्व को मुख्य रूप से युवाओं को ड्रग्स से खतरे के लिए जागरूक किया जा सके।

मुख्य शब्द - मादक पदार्थ सेवन, तस्करी निरोध दिवस, व्यसन, युवा वर्ग, महिलाओं में मद्यपान ।

प्रस्तावना - आज के समय में मादक पदार्थों का सेवन एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। युवाओं का एक बड़ा वर्ग इसकी चपेट मे ं आ गया है। आज मादक पदार्थों के सेवन करके लोग अपना जीवन खराब कर रहें हैं। ये पदार्थ कुछ समय के लिए नशा देते है जिसमें व्यक्ति सुखद अनुभूति होती है, पर जैसे ही नशा खत्म होता है व्यक्ति फिर से उसे लेना चाहता है। कुछ ही दिनों में उसे इन पदार्थों की लत लग जाती है। स्कूल, कॅलेजों में ड्रग्स, नशीली गोलियां चोरी छिपे बेची जा रही है जो युवाओं के भविष्य को नष्ट कर रही है। इन मादक पदार्थों का सेवन करने के बाद जल्द ही इसकी लत लग जाती है । उसके बाद लोग चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाते हैं। बच्चे अपनी पॉकेट मनी को खर्च करके इसे लेने लग जाते हैं। जल्द ही यह सेवन करने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। आज देश के कई राज्यों में इन मादक पदार्थों ड्रग्स को चोरी छिपे बेचा जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस -

सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1987 में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया गया था। विश्व ड्रग्स रिपोर्ट वर्ष 2017 के अनुसार जो कि संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (यूएनओडी) ने जारी किया है, लगभग एक चौथाई बिलियन लोंगों ने वर्ष 2015 में कम से कम एक बार मादक पदार्थों का उपयोग किया है। इसमें से लगभग 29.5 मिलियन लोग या वैश्विक वयस्क आबादी का 0.6 प्रतिशत मादक द्रव्य व्यसन सहित मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाले रोगों से पीड़ित थे। भारत में प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय मादक पदार्थ विरोधी दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य भारत को मादक पदार्थों से मुक्त और प्रतिभा को बनाये रखना है। मादक पदार्थों का सेवन करना हमारे समाज के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। यह प्रवृति व्यक्ति को ही नहीं बल्कि समाज को भी समान रूप से प्रभावित करती है तथा इससे तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता में कमी और करियर, परिवार, प्रियजनों, दोस्तों एवं नागरिक भावना की तुलना में मादक पदार्थों के सेवन को प्राथमिकता देती है। राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक द्रव्य व्यसन दुरूप्रयोग की रोकथाम और तस्करी निरोध से संबन्धित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय (एमएसजेई), भारत सरकार देश में शराब और मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिए नीतियों और मादक द्रव्य मुक्ति कार्यक्रम (डीडीएपी) के साथ कार्यरत है।

मादक द्रव्य दुरूपयोग की रोकथाम से संबन्धित कई ई स्वास्थ्य बेब आधारित कार्यक्रम है, जैसा कि राष्ट्रीय मादक पदार्थ निर्भरता उपचार केन्द्र (एनडीढीटीसी), एम, दिल्ली ने ई मदद और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान ने तंबाकू समाप्ति के लिए शुरू किए गए एम-सेसेशन कार्यक्रम का संचालन किया। राजस्व विभाग, केन्द्र सरकार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1988 में अवैध आवागमन की रोकथाम की अनुपालन करता है।

भारत में मादक व्यसन की स्थिति संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एिशया में भारत हेरोईन का बड़ा उपभोक्ता देश है वर्ष 2001 के एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में भारतीय पुरूषों में अफीम सेवन की उच्च दर 12 से 60 साल की उम्र तक के लोगों में 0.7

प्रतिशत प्रतिमा देखी गयी है रिपोर्ट के अनुसार 2008 में भारत ने 17 मीट्रिक टन हेरोईन खपत और वर्तमान में 60 से 70 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष अफीम की खपत होती है। सर्वेक्षणों के अनुसार भारत में पंजाब को ड्रग्स की समस्या से सार्वधिक पीड़ित पाया गया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अध्ययन में पंजाब के 10 जिलों बंठिडा, फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला, गुरदासपुर, होशियारपुर, पटियाला, संगरिया, मोगा और तरनतारन को शामिल किया गया है। पंजाब में ड्रग्स का सेवन करने वालों की संख्या 232856 है । 89 प्रतिशत नशा करने वाले शिक्षित और साक्षर हैं। पंजाब में सबसे अधिक गांवों (56 प्रतिशत) में होता है। नशीली दवाओं का सेवन रोकने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने शराब और पदार्थ (ड्रग्स) दुरूप्रयोग की रोकथाम के लिए सहायता के केन्द्रीय क्षेत्र योजना नामक एक योजना लागू की है इस योजना के तहत शहरी स्थानीय निकाय, योग्य गैर सरकारी संगठनों और पंचायती राज संस्थानों को सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जो नशे की पुनर्वासन के लिए सम्पूर्ण सेवायें प्रदान करेंगे। सामाजिक सुधार और लत-मुक्त करने में लगे चरित्र सेवादार ट्रस्ट और एनजीओ ने कहा है कि तिहाड़ जेल में लगभग 80 प्रतिशत कैदी तम्बाकू, गांजा, स्मैक या अल्कोहल के आदी हैं। इन्होने सुझाव दिया है कि जेल में कैदियों की निराशा दूर करने के लिए अधिक सलाहाकारों की आवश्यकता है जो इन्हे इसके दुष्परिणामों से बचा सके। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिल्ली जोनल यूनिट ने ड्रग दुरूप्रयोग के खिलाफ लडाई में नारकोटिक ड्रग्स एंड साईकोट्रॉपिक सब्सटैंस एक्ट 1985 के अनुसार समान शक्ति रखने वाले पुलिस, उत्पाद शुल्क, राजस्व खुफिया निदेशालय जैसे हितधारकों का उपयोग करने का सुझाव दिया है। संस्था ने एनडीपीएस की धारा 64 लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें कहा गया हैं, अपनी इच्छा से इलाज कराने वाले के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा यह परीक्षा प्रदान की गई है कि अगर व्यसन का पूर्ण रूप से ईलाज नहीं किया जाता है तो अभियोजन पक्ष द्वारा किया जा रहा इलाज रोका जा सकता है।

मादक पदार्थों का युवा वर्ग में प्रभाव -

पूरे विश्व में मादक पदार्थों के सेवन से सबसे ज्यादा किशोर वर्ग जूझ रहा है, हमारा देश भी इसके सेवन से अछूता नहीं है। यह पूरे विश्व की गम्भीर समस्या है जिसका प्रभाव भारत जैसे आदर्श देश पर भी अत्यधिक मात्रा में पड़ा है। आज की युवा पीढ़ी मादक पदार्थों के सेवन से अपने लक्ष्य को भूल रही है और वह अपने जीवन को बर्बाद करके अपने माता-पिता को भी दुःख दे रही है। मादक पदार्थों के सेवन से किशोर माता-पिता की आशाओं के विपरीत निकलने से स्वयं को उपहास का पात्र तो बनाते ही है लेकिन परिवार को भी तनाव ग्रसित करते है। युवा वर्ग में मादक पदार्थों के सेवन के प्रति रूझान के अनेकों कारण हैं, जिन्हें दूर करने के लिए समाज के सभी समुदाय का कर्तव्य है कि इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए युवा वर्ग के इन मादक पदार्थों के प्रति रूझान को खत्म करके समाज में एक अच्छा नागरिक बनाने में सम्पुर्ण मदद करने की कोशिश करें।

महिलाओं में मद्यपान की प्रवृति -

भारत में महिलाओं पर किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि करीब 40 प्रतिशत महिलायें भी नशीले पदार्थों का सेवन करती है 20 साल पहले जहाँ 300 लोगों में से 1 व्यक्ति शराब का सेवन करता था वहीं आज 20 में से 1 व्यक्ति शराब का आदि है। परन्तु महिलाओं में इस प्रवृति का आना समस्या की गंभीरता दर्शाता है पिछले दो दशक में महिलाओं में मद्यपान करने वाली महिलाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। उच्च तथा उच्च मध्यम वर्ग की महिलाओं में यह एक फैशन के रूप में आरम्भ हुआ है। महानगरों एवं बडे शहरों की कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों में यह एक आम प्रवृत्ति होती जा रही है शराब मुक्ति केन्द्रों के आंकड़ो से ज्ञात हुआ की नशो के गिरफ्त से छुटकारा पाने हेतु प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से 4 महिलायें हैं।

मादक पदार्थ लेने के कारण -

1 माता पिता का प्रभाव बच्चों पर अधिक पड़ता है। क्योंकि किसी भी बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया उसके माता-पिता एवं परिवार से ही आरम्भ होती है। ऐसे में यदि माता-पिता द्वारा मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है तो स्वाभाविक ही बच्चे भी इसका सेवन आरंभ कर देते हैं।

2 कुछ लोग अपने दुखों एवं जीवन की समस्याओं से पलायन करने के लिये नशीले पदार्थों का सेवन करते है।

3 दोस्तों के प्रभाव में आकर बच्चे बहुत जल्दी ड्रग्स के लेना शुरू कर देते हैं। वो इसे पहले शौक-शौक में लेते हैं किन्तु धीरे धीरे इसके आदि हो जाते हैं। अमीर बच्चों में ये समस्या कुछ ज्यादा है।

4 मंहगी जीवनश्शैली में माता-पिता दोनों पैसे कमाने के लिये नौकरियां करने लगे है। वो बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते है । ज्यादातर माता पिता सुबह घर से निकलते हैं और रात में घर वापिस आते है। बच्चों को जेब खर्च के लिए अधिक पैसे देते हैं जिससे वे नशीले पदार्थों का सेवन कर लेता हैं । कई बार बच्चे अपने अकेलेपन के कारण भी नशे की गिरफ्त में आ जाते है ।

5 मीड़िया के प्रभाव से : फिल्मे , टेलीविजन, मोबाईल इत्यादि में प्रसारित होने वाले विज्ञापनों के प्रभाव से युवा वर्ग में उत्सुकतावश व आकर्षित होकर इन व्यसनों में फस जाते हैं।

6 बाजार से बच्चों द्वारा मादक पदार्थों की खरीददारी करवाना : कई बार पिता या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बच्चों को बाजार से शराब, सिगरेट, आदि नशीले पदार्थों को मंगवाने से भी बच्चों को इसका आदि बना देता है।

7 कई परिवारों में बच्चों के साथ भेदभाव करते है जिससे बच्चों में हीन भावना आ जाती है और वे मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं ।

मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणाम -

नशीले पदार्थों के सेवन स्वास्थ्य पर अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव होते है नशीली दवाओं का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव मस्तिक पर पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप दवाओं के आदि व्यक्ति के जीवन का हर पहलू प्रभावित होता है। ड्रग्स का सेवन करने से मानव मस्तिष्क में संचार के लिए कार्य करने वाले प्राकृतिक रासायनिक तत्वों की कॉपी तैयार होती है जो मस्तिक की प्रतिक्रिया परिपथ को अधिक उत्तेजित कर देती है। नशीली दवाओं का उपयोग स्वयं उपयोगकर्ता के व्यवहार में कई बार घृणास्पद रूप से प्रकट होता है। मादक पदार्थों के सेवन के कारण किशोरों को स्मृति हानि, एकाग्रता में कमी, पढ़ाई में कठिनाई, तनाव आदि परेशानियों से युवा वर्ग को गुजरना पड़ता है। नशा करने वाले व्यक्ति बिना खाना खाये रह सकता है पर बिना नशा किये नहीं रह सकता जिससे उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है।

मादक पदार्थों के सेवन से बचने के उपाय -

1 सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता की है। यह बहुत आवश्यक है कि माता पिता बच्चों समय दे और सही मार्गदर्शन करें माता पिता बच्चों को मादक पदार्थों से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताये और स्वयं भी मादक पदार्थों का सेवन करने से दूर रहें।

2 विद्यालय, कॉलेजों में भी बच्चों को इसके दुष्परिणाम की जानकारी प्रदान की जाए। माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों में विभिन्न प्रकार के जागरूकता अभियान एवं कार्यक्रमों द्वारा भी युवा वर्ग को इसके बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

3 सरकार को भी मादक पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबन्दी लगानी चाहिए तथा इसके उपयोग करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

4 बुद्धि जीवी वर्ग, पुलिस एन.जी.ओ. आदि इस ओर सक्रिय पहल करें ।

5 युवाओं को यह महसूस कराया जाए कि नशीले पदार्थ का सेवन हर प्रकार से हानिकारक है। निष्कर्ष नशीले पदार्थों का सेवन कुछ मिनटों के लिए आनन्द देता है पर इसके दुश्परिणाम होते है। यह व्यक्ति को धीरे-धीरे निगल जाता है और उसके जीवन को हर तरह से बर्बाद कर देता है। अतः स्पष्ट होता है कि समन्वयस्क आयु समूह का प्रभाव व्यक्तिगत स्तर पर आनन्द की अनुभूति और तनाव से मुक्ति मादक पदार्थ सेवन का प्रमुख कारण है। ये सूचनादाता मादक पदार्थ की लोकप्रियता की चरम स्थिति में पहुँचाने की कोशिश करते हैं। क्षेत्रीय अध्ययन से पता चलता है कि शिक्षित युवा वर्ग रुपये की तंगी हालत में चोरी, राहजनी, गैरकानूनी कार्य में अपने को लिप्त कर लेते हैं जिससे नशे की लत को पूरा किया जा सके।

जैसे-जैसे इन पदार्थों पर निर्भरता बढ़ने लगती है वैसे-वैसे व्यक्ति अपने परिवार और दोस्तों से दूर होने लगता है। एक बार व्यक्ति ड्रग्स का सेवन कर लेता है तो फिर उसे इसकी आदत पड़ जाती है और बाद में उसे ये समय पर न मिलने पर व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तित होने लगता है। वह समाज को भी अपना विरोधी समझने जगता है। नशीले पदार्थों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को समाज अच्छा नहीं मानता है और कभी-कभी उसकी यह लत बढ़ जाने पर उसे समाज से निष्कासित भी कर दिया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[1]. सिंह, एम०एन० (1999), 'ड्रग्स तथा आधुनिक समाज', विवेक प्रकाशन, दिल्ली।
[2]. इब्राहिम, एच०ए० (2016), जर्नल ऑफ फार्मेसी एण्ड बायोलॉजिकल साइंसेस, वॉल्यूम-11(1)।
[3]. चव्हाण, बी०एस० (2007), इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री, वॉल्यूम-49(1)।
[4]. फ्रेड, ब्यूवेस (1989), अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ, वॉल्यूम-79।
[5]. शर्मा, भुवन (2017), जर्नल ऑफ फेमिली मेडिसीन एण्ड प्राइमरी केयर, वॉल्यूम-6(3)।
[6]. पचौरी, जे०पी० (1999), 'ड्रग एब्यूज एण्ड एल्कोहलिस्म इन इंडिया', एम०टी०सी० प्रिन्टर्स, बरेली।
[7]. अहमद, एन० एवं अन्य (2009), प्रवरा मेडीकल रिव्यू, वॉल्यूम-4(4)।
[8]. नेशनल सर्वे ऑन एक्सटेटं, पैटर्न एण्ड ट्रेन्डस् ऑफ ड्रग एब्यूज़ इन इंडिया, (2004)।
[9]. शर्मा, पी० और त्यागी ए० (2016), अमेरिकन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन ह ्यूमिनीटीस, आर्ट्स एण्ड सोशल साइंसेस।
[10]. जिलोहा, आर०सी० (2009), दिल्ली साइकेट्री जर्नल, वॉल्यूम-12(2)।
[11]. चड्ढा, आर०के० (2002), तंबाकू इंड्यूस्ड डिसीसेस, वॉल्यूम-1(2)।
[12]. फुकन, आर०एस० (2017), ड्रग की समस्याः पंजाब और दिल्ली में सरकार का सर्वेक्षण।